आवेदक का फ़ोटोग्राफ़

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
कमेटी इंतेज़ामिया औक़ाफ़–ए–आम्मा,
भोपाल

विषय :– **वक़्फ़ मस्जिद हमीदिया, हमीदिया रोड, भोपाल स्थित वक़्फ़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउण्ड फ्लोर स्थित दुकान आंवटन हेतु आवेदन पत्र।**

महोदय,

मैं, वक़्फ़ मस्जिद हमीदिया, हमीदिया रोड, भोपाल स्थित चार मंज़िला वक़्फ़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान क्र. .... किराये पर लेने का इच्छुक हूं।

मैनें कॉम्प्लेक्स का भ्रमण कर लिया है एवं इस आवेदन के साथ संलग्न दुकान आवंटन की समस्त नियम व शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं। मुझे समस्त नियम व शर्तें स्वीकार हैं।

अतः उक्त शापिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउण्ड फ्लोर के ब्लॉक .... की दुकान क्र. .... जिसकी सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि .... रूपये एवं न्यूनतम किराया .... रूपये है, के लिये मैं अपनी ऑफ़र किराया राशि .... रूपयें मासिक प्रस्तुत करता/करती हूं। आवेदन के साथ डी.डी. क्र. .... राशि 50,000/– रूपये संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। उक्त दुकान मैं .... के प्रायोजन हेतु ले रहा/रही हूं।

नोट :– आवेदक को आवेदन के साथ संलग्न नियम व शर्तों के तीनों पृष्ठ हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा।

दिनांक : ....

आवेदनकर्ता

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

....

मो. नं. ....

Afzmal
प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेज़ामिया
औक़ाफ़–ए–आम्मा,भोपाल

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश राज्य वक्फ़ बोर्ड के अधीन

कार्यालय कमेटी इंतेज़ामिया औक़ाफ़–ए–आम्मा

ताजुल मसाजिद के पीछे, ओल्ड डी.पी.आई. भवन, सुल्तानिया रोड, भोपाल

वक़्फ़ मस्जिद हमीदिया, हमीदिया रोड, भोपाल स्थित चार मंज़िला वक़्फ़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित 41 दुकानों को किराये पर आवंटित किये जाने हेतु **नियम व शर्तें** निम्नानुसार हैं :

(1) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26–09–2023 है।

(2) आवेदन बन्द लिफ़ाफ़े में कार्यालय औक़ाफ़–ए–आम्मा भोपाल में कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।

(3) आवेदन दिनांक 27.09.2023 को सुबह 11 बजे कार्यालय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के मीटिंग हॉल में खोले जाएगें। उक्त दिनांक में आवेदक आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। आवेदकों को अलग से सुचित नहीं किया जायेगा।

(4) दिनांक 26–09–2023 को जिन दुकानों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं या किसी कारणवश प्राप्त आवेदन निरस्त किये जाते हैं तो उन दुकानों के आवेदन पुनः दिनांक 30–09–2023 को समय 11 से 2 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो दिनांक 30–09–2023 को ही शाम 4 बजे खोले जायेंगे।

(5) प्रत्येक दुकान का न्यूनतम (Minimum) किराया एवं क्षेत्रफ़ल का चार्ट संलग्न है।

(6) वक़्फ़ समपत्ति पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 के नियम 19(1)(i) के अंतर्गत प्रत्येक दुकान 10 वर्ष की अवधि के लिये किराये पर आवंटित की जाना है।

(7) आवेदनकर्ता शापिंग कॉम्प्लेक्स का भ्रमण करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें।

(8) आवंटन उपरांत प्रत्येक दुकान के लिये संलग्न चार्ट अनुसार सिक्यूरिटी डिपाज़िट जमा करना होगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(9) किरायेदार द्वारा आवंटित दुकान का अधिपत्य कार्यालय को वापस सौंपने की दशा में किरायेदार द्वारा जमा सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि बिना ब्याज के इस शर्त पर वापस की जा सकेगी कि वह कारण सहित कम–से–कम तीन माह पूर्व कार्यालय औक़ाफ़–ए–आम्मा भोपाल को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करे।

(10) प्रत्येक दुकान के लिये आवेदनकर्ता को अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(11) प्रत्येक दुकान के लिये आवेदन के साथ धरोहर राशि 50,000/– (प्रचास हज़ार रूपये) का डी.डी. जोकि Committee Intezamia Auqaf-e-amma, Bhopal के नाम देय हो, जमा करना होगा।

(12) बिना डी.डी. आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(13) आवेदन में ब्लॉक नं. एवं दुकान क्र. एवं मासिक किराया राशि का ऑफ़र स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।

(14) न्यूनतम किराये से कम का ऑफ़र निरस्त कर दिया जायेगा।

(15) दुकान के आवेदन उच्चतम मासिक किराये के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे।

(16) उच्चतम किराया ऑफ़र वाले आवेदनकर्ता को दुकान आवंटित की जा सकेगी।

Akmal
प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेजामिया
औक़ाफ़–ए–आम्मा,भोपाल

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

(17) प्रत्येक दुकान के लिये एच–1, एच–2, एच–3 आवेदनकर्ता की डी.डी. कार्यालय में जमा रहेगी एवं शेष आवेदनकर्ताओं की डी.डी. वापस कर दी जायेगी।

(18) एच–1 आवेदनकर्ता का आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत उसके द्वारा जमा धरोहर राशि 50,000/– (पचास हज़ार रूपये) को सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि में समायोजित करते हुए, शेष बची राशि आवेदनकर्ता को एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में जमा करना होगी।

(19) आवेदन स्वीकृति उपरांत एच–1 द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि जमा नहीं की जाती है तो एच–1 की धरोहर राशि 50,000/– रूपये ज़प्त करते हुए, एच–2 का आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा।

(20) आवेदन स्वीकृति उपरांत यदि एच–2 द्वारा भी एक सप्ताह के अन्दर सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि जमा नहीं की जाती है तो एच–2 की धरोहर राशि 50,000/– रूपये ज़प्त करते हुए, एच–3 का आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा।

(21) आवेदन स्वीकृति उपरांत एच–3 द्वारा भी एक सप्ताह के अन्दर सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि जमा नहीं की जाती है तो एच–3 की धरोहर राशि 50,000/– रूपये ज़प्त की जाकर उक्त दुकान हेतु पुनः आवेदन बुलाये जायेंगे।

(22) आवेदन में दिये गये ऑफ़र किराये पर किराया अनुबंध उपरान्त प्रत्येक वर्ष पट्टा नियम अनुसार निर्धारित न्यूनतम किराया राशि में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

(23) किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार पूर्णतः कार्यालय औक़ाफ़–ए–आम्मा भोपाल को रहेगा, जिसके विरूद्ध आवेदक को किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

(24) औक़ाफ़–ए–आम्मा के वह किरायेदार जो डिफ़ाल्टर हैं, उनके आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(25) डिफ़ाल्टर किरायेदार यदि अपने परिवार के किसी सदस्य जैसे पत्नी, बच्चे या किसी अन्य सगे सम्बंध के नाम से आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन निरस्त कर उनकी जमा धरोहर राशि ज़प्त कर ली जायेगी।

(26) आवेदनकर्ता को किराये के अतिरिक्त शापिंग कॉम्प्लेक्स का मेंटीनेंस शुल्क भी देना अनिवार्य होगा, जो बाद में कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(27) शापिंग कॉम्प्लेक्स में बिजली कनेक्शन हेतु बिजली विभाग से प्रक्रिया प्रचलन में है। ट्रांसफ़ार्मर/डी.पी. लगने के उपरांत ही दुकान का अधिपत्य दिया जा सकेगा।

(28) आवेदनकर्ता को दुकान का पज़ेशन संभवतः नवम्बर/दिसम्बर 2023 तक दिया जायेगा। किराया पज़ेशन दिनांक से लागू किया जायेगा।

(29) दुकान जिस व्यक्ति को आवंटित की जायेगी, वह स्वयं दुकान का उपयोग करेगा। किसी अन्य को शिकमी या किसी अन्य तरीक़े पर किरायेदार नहीं रखेगा।

(30) यदि आवेदनकर्ता को कार्यालय द्वारा वक़्फ़ मस्जिद हमीदिया शापिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटित की जाती है तो आवंटी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किरायाधीन दुकान का अधिपत्य किसी अन्य को सौंपे।

Armal

प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेजामियां
औक़ाफ़–ए–आम्मा, भोपाल

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

(31) यदि आवंटी/किरायेदार उक्त दुकान का अधिपत्य किसी अन्य को सौंप देता है तो किरायेदार तथा क़ब्ज़ाधारी दोनों के विरूद्ध वक़्फ़ अधिनियम/ आई.पी.सी. के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी एवं किरायेदार की जमा सिक्यूरिटी डिपाज़िट राशि ज़प्त कर ली जायेगी।

(32) किरायेदार को शासन द्वारा निर्धारित कर (यदि कोई लागू होते हैं) तो उसे जमा करना अनिवार्य होगा।

(33) किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र म.प्र. वक़्फ़ बोर्ड भोपाल रहेगा।

(34) आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्वयं हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।

(35) अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

(36) दुकान आवंटन उपरान्त आवदेक को कार्यालय औकाफ–ए–आम्मा में लागू किराया अनुबंध करना होगा एवं उसकी समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(37) शापिंग कॉम्प्लेक्स का शेष कार्य पूर्ण करने में कोई कठिनाई आती है या असुविधा होती है तो किरायेदार इस सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं करेगा एवं निर्माण कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेगा।

(38) वक़्फ़ हित में उक्त नियम व शर्तों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसपर आवेदक/किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदनकर्ता

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

....

मो. नं. ....

Ahmad

प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेजामिया
औकाफ–ए–आम्मा, भोपाल

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अधीन

कमेटी इंतेज़मिया औकाफ़–ए–आम्मा, भोपाल

वक़्फ़ मस्जिद हमीदिया शॉपिंग काम्प्लेक्स भोपाल के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित 41 दुकानों का क्षेत्रफल, न्यूतम किराया एवं सिक्यूरिटी डिपाज़िट का विवरण

क्र.	ब्लॉक. नं.	दुकान नं.	दुकान का कुल एरिया (वर्गफिट में)	न्यूनतम किराया	सिक्यूरिटी डिपाज़िट
01	**A**	03	167.39	₹ 8,000	₹ 10 लाख
		04	154.87		
02	**B**	19	150.40	₹ 7,000	₹ 8 लाख
		20	155.00		
		21	143.00		
		22	152.88		
		23	212.76		
		25	153.64		
03	**C**	07	163.00	₹ 6,000	₹ 7 लाख
		10	165.56		
		11	154.13		
		12	159.30		
		13	127.80		
		14	152.89		
		15	163.00		
		16	161.45		
		17	161.87		
		18	144.81		
04	**D**	26	156.37	₹ 5,000	₹ 6 लाख
		27	172.60		
		28	170.89		
		31	175.00		
		32	160.66		
		33	164.00		
		34	145.48		
05	**E**	24	200.77	₹ 4,000	₹ 5 लाख
		29	129.11		
		30	182.17		
		35	161.38		
		36	160.50		
		37	157.24		
		38	151.82		
		39	155.09		
		40	172.61		
		41	165.41		
		42	160.00		
		43	173.41		
		44	175.59		
		45	167.46		
		46	167.47		
		47	165.32		

अधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेज़ामिया
औकाफ़-ए-आम्मा, भोपाल

Scanned by CamScanner